न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 23/2022

कुलवन्त सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह, जाति जाट, निवासी ढाणी राजस्व), 4– जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

–:: बनाम ::–

– – प्रार्थी

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह, जाति जाट, निवासी चक 1–एफ छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री कुलवंत सिंह	प्रार्थी
2. श्री मोहन लाल माहर	अप्रार्थी 1
3. पैरोकार राज	अप्रार्थी –2

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 07.11.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि चक 1–एफ छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 1.265 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि है जिसकी काश्त हेतु वह मुख्य सड़क, श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ चक 1–एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 29, जो कि मुख्य सड़क के साथ लगता है, जिसका खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 है, के किला नम्बर 1 से 5 की उत्तरी सीमा, जो रास्ते के रूप में 1–1 बिस्वा का प्रयोग कर रहा है। यह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है। चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई हैं, इसलिये इस रास्ते को मन्जूर करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25, मुरब्बा नम्बर 29 के साथ लगते हुए हैं। इसलिये उसे मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 से 5 की उत्तरी सीमा पर 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की भूमि को नहीं जाता है । यही एकमात्र रास्ता प्रार्थी के लिये सबसे नज़दीकी और उपयुक्त है। यह रास्ता प्रार्थी को अत्यांतिक आवश्यक है । प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को कई बाद उक्त मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 ता 5 के उत्तरी सीमा पर रास्ता का अंकन करवाने हेतु कहा तो प्रार्थी की बात पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अब दिनांक 10.02.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 बमुकाम टेलेवाला उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करवाने से इन्कार हो गया है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त है। यह कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण को इस 1–1 बिस्वा रास्ते की एवज में न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा देने को तैयार है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है जो समयावधि में उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 1–एफ छोटी, टेलेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 ता 5 की उत्तरी सीमा पर 1–1 बिस्वा रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में काश्त करने हेतु, स्वीकृत फरमाया जावे। प्रार्थी इस हेतु नियमानुसार मुआवजा देने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी संख्या 1 बंद किया गया।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

– :: आदेश ::–

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु चक 1–एफ छोटी, पटवार हल्का 4 एमएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के पत्थर नंबर 0 मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 ता 5 की उत्तरी सीमा पर 1–1 बिस्वा रास्ता को बतौर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दर दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाए जाने के उपरान्त तहसीलदार राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन करे एवम् सम्बंधित काश्तकार को अपने स्तर पर राशि का वितरण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 07.11.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner